कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी जौरा, जिला–मुरैना (म.प्र.)

प्र.क्र. 06 / 2021–22 / अ–82 / भू–अर्जन / सुमावली / 10 मुरैना, दिनांक 03 / 01 / 2022

सूचना–पत्र

(भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना, (म.प्र.)
बनाम
मु.रामवती वेवा छिद्दीसिंह आदि।
ग्राम– सुमावली तहसील जौरा व जिला मुरैना

द्वारा :– तहसीलदार परगना जौरा जिला मुरैना

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू–अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम **सुमावली** तहसील जौरा जिला मुरैना मे स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे कमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित मार्ग नूराबाद (टेकरी) सुमावली इकलिया मार्ग के निर्माण के लिऐ स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है अतः भू–अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबधित सर्वे कमांक के संबध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक का भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तद्नुसार निम्न तालिका में भू–अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक 18/01/22 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिभाषक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा, कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी भू–अर्जन शाखा मुरैना/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग मुरैना (म0प्र0) में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 18/01/22 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

स. क्र.	राजस्व वृत/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा हे. में		
			सिचिंत	सिचिंत	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत–07/पटवारी हल्का–/ग्राम– सुमावली/तहसील जौरा जिला मुरैना				
1		935 मिन–2	0.014	निरंक	कृषि
2		935 मिन–3	0.069	निरंक	कृषि
3		926	0.035	निरंक	कृषि
4		928/1	0.0315	निरंक	कृषि
		928/2	0.0315	निरंक	कृषि
5		927	0.015	निरंक	कृषि
6		982	0.031	निरंक	कृषि
7		987	0.035	निरंक	कृषि
8		988	0.074	निरंक	कृषि
9		974 मिन–1	0-021	निरंक	कृषि
	योग		**0.357**		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू–अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मागदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्व व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 3/01/22 को जारी किया गया।

स्थान : जौरा
तारीख : 3/1/22

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी
जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

पृष्ठां. प्र.क्र. 06/2021–22/अ–82/भू–अर्जन/सुमावली/11 मुरैना, दिनांक 03/01/2022
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **जौरा,** जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग मुरैना (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, परगना जौरा की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील जौरा संबंधित पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी
जौरा, जिला मुरैना(म.प्र.)